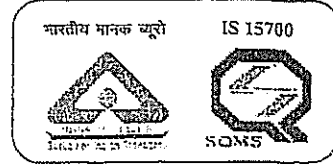




उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
वास्तुकला एवं नियोजन इकाई-पंचम
नीलगिरी काम्पलेक्स, इन्दिरा नगर, लखनऊ-226016



पत्र सं- 994 / नि0प्रा0-27/शमन / 2014-15/वा0नि0-5 /

दिनांक- 18/4/2016

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद अधिनियम 1965 के अन्तर्गत

शमनोपरान्त स्वीकृति-पत्र

सेवा में,

डायरेक्टर, मैसर्स ओमनी फर्म्स प्रा0लि0,
द्वितीय तल, एलडिको कार्पोरेट चैम्बर-1,
विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

विषय: ग्रुप हाउसिंग भूखंड संख्या 9डी/जी0एच0-1 वृन्दावन योजना लखनऊ में पूर्व स्वीकृति से भिन्न निर्माण की कम्पाउण्डिंग सहित प्रस्तावित आंशिक भाग के निर्माण हेतु उच्च स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदित मानचित्र निर्गत करने के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक ग्रुप हाउसिंग भूखंड संख्या 9डी/जी0एच0-1, वृन्दावन योजना लखनऊ में पूर्व स्वीकृत मानचित्र से भिन्न निर्माण को नियमानुसार शमनित करने सम्बंधी आवेदन के क्रम में अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-3 के पत्रांक 695/दिनांक 06-05-2015 के माध्यम से प्राप्त स्थल सत्यापन के अनुसार परीक्षणोपरान्त आवास आयुक्त(म0) की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति की सम्पन्न बैठक दिनांक 05-02-2016 में विचार-विमर्श के उपरान्त कतिपय शर्तों सहित शमनोपरान्त मानचित्र स्वीकृति का निर्णय लिया गया है :-

"वृन्दावन योजना को परिषद की 215वीं बोर्ड बैठक दिनांक 6-1-2011 के मद संख्या-17 के निर्णय के क्रम में अदिकसित घोषित है इससे योजना का बेसिक एफ0ए0आर0 2.50 हो गया है तदनुसार शासनादेश संख्या- 3589/8-3-2011 विविध/08 दिनांक 04.08.2011 में नयी एवं अदिकसित योजनाओं हेतु बेसिक एफ.ए.आर. 2.5 घोषित किया गया है। इसी क्रम में वृन्दावन योजना के अन्तर्गत बेसिक एफ.ए.आर. 2.5 निर्धारित किया गया है एवं योजना अन्तर्गत 10-10 प्रतिशत ई0डब्ल्यू0एस0 एवं एल0आई0जी0 का नियोजन पूर्व में प्राविधानित है। अतः योजना में शासनादेश के अनुपालन में आवंटित ग्रुप हाउसिंग भूखंडों में बेसिक एफ0ए0आर0 के निर्माण योजनान्तर्गत 10-10 प्रतिशत ई0डब्ल्यू0एस0 एवं एल0आई0जी0 भवनों के निर्माण उक्त के फलस्वरूप अवमुक्त रखा जाय। "

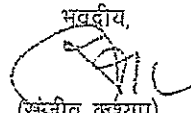
उक्त के अनुक्रम में एतद्वारा निम्नांकित शर्तों सहित उक्त मानचित्र निर्गत किया जा रहा है :-

1. पूर्व में भूखण्ड के सापेक्ष पूर्व में परिषद के पत्र संख्या-126/नि0प्रा0-2010/24/वा0नि0-5 दिनांक 13-7-2011 द्वारा 2.445 एफ0ए0आर0 के अन्तर्गत मानचित्र स्वीकृत है वर्तमान में स्वीकृत से भिन्न एवं कतिपय संशोधनों सहित पुनरीक्षित मानचित्र स्वीकृति जिसके फलस्वरूप पूर्व स्वीकृत मानचित्र एतद्वारा द्वारा निरस्त मानते हुए पूर्व स्वीकृत मानचित्र मूलरूप में स्वीकृत पत्र सहित इस कार्यालय में सरण्डर/वापस करना होगा।
2. वर्तमान में यह स्वीकृति ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड पर नियमानुसार 2.4997 एफ0ए0आर0 सहित शमनित करते हुए सहित कुल 963 इकाईयाँ निर्मित/शमनित किये जाने हेतु अनुवर्ती तलों पर निर्माण की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
3. निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा। वर्तमान में क्रियाचयन, तकनीकी समिति की बैठक दिनांक 5-2-2016 के अनुमोदन के क्रम में स्थल पर निर्माण किया जाएगा।
5. स्वीकृत मानचित्र की अवधि पूर्व में स्वीकृत मानचित्र के अवधि के अनुसार ही मान्य होगी।
6. स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अंकित संशोधनों सहित मान्य होगा।
7. पूर्व में स्वीकृत मानचित्र में 11 नग टावरों में से निर्मित व शमनित 09 टावरों (क्रमशः टावर न0 टी-2, टी-3, टी-4, टी-6, टी-7, टी-8, टी-9, टी-10 व टी-11 एवं क्लब हाउस) का शमनित मानचित्र उच्च स्तरीय समिति द्वारा कतिपय शर्तों सहित अनुमोदित किया है। यह स्वीकृति समिति द्वारा अनुमोदित अवशेष (प्रस्तावित निर्माण क्षेत्रफल 15038.40 वर्गमी0,) टावर नम्बर टी-1 व टी-5 जो कि पूर्व स्वीकृत मानचित्र दिनांक 13-7-2011 में प्रस्तावित थे एवं जिनका खण्ड कार्यालय की स्थल आख्या के अनुसार तददिनांक तक निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है, के सापेक्ष भूतल पर निर्माण क्षेत्रफल 1009.25 वर्गमी0 हेतु की स्वीकृति प्रथम चरण के अन्तर्गत वर्तमान में प्रदान की जा रही है।
8. वर्तमान में अवशेष निर्माण हेतु प्रथम चरण में दोनों टावर (टावर संख्या टी0-1, टी0-5 व शापिंग) सहित 15038.40 वर्गमी0 (ग्राउण्ड फ्लोर + 13 तल) में से भूतल के निर्माण क्षेत्रफल 1329.00 वर्गमी0 हेतु निर्माण की स्वीकृति भूखण्ड क्षेत्रफल 44609.67 वर्गमी0 पर प्रदान की जा रही है।
9. टावर संख्या टी0-1, टी0-5 व शापिंग के सम्पूर्ण निर्माण (दोनों चरणों सहित) की अवधि पूर्व में स्वीकृत की अवधि (दिनांक 13-7-2011 से दिनांक 12-7-2016) के अनुसार होगी। उक्त अवधि के उपरान्त निर्माण की दशा में नियमानुसार सम्बंधित सम्पत्ति प्रबंध कार्यालय से निर्माण हेतु समयवृद्धि प्राप्त कर इस कार्यालय में प्रस्तुत की जानी होगी।
10. मुख्य अग्निशमन अधिकारी, उ0प्र0 फायर सर्विसेज लखनऊ के पत्र संख्या-1615/एफ0एस0-11 दिनांक 11-05-2015 के द्वारा अज्ञापित प्रमाण पत्र/सत्यापित मानचित्र प्रस्तुत किये गये हैं जारी किया गया है की शर्तों का अनुपालन स्थल पर किया जाना अनिवार्य है।
11. निर्माण स्थल पर स्वीकृत मानचित्र का डिस्क ऐसे स्थान पर किया जायेगा कि उसे जन सामान्य के द्वारा सुगमतापूर्वक अवलोकित किया जा सके।

12. आवंटन द्वारा सलग्न प्रारूप पर पूर्णता प्रमाण पत्र हेतु कालान्तर में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जायेगा जिसके साथ अनुज्ञापत्र तकनीकी व्यक्ति का प्रमाण पत्र भी सलग्न करना होगा। निर्धारित समयवाधि में निर्माण कार्य यथामानक सही पाये जाने पर ही पूर्णता प्रमाण पत्र निर्गत किया जायेगा।
13. आवंटन द्वारा स्थल (सार्वजनिक)/मार्ग अथवा सरकारी भूमि का उपयोग भवन सामग्री अम्बार/संचय करने की दशा में मानचित्र अवमुक्त होने की तिथि से देय मलवा शुल्क तथा उस पर 15 प्रतिशत वार्षिक व्याज (अर्द्धवार्षिक चक्रवृद्धि व्याज) मांग पत्र निर्गत होने की तिथि से एक माह के अन्दर परिषद खाते में एकमुश्त जमा करेगा।
14. शासनादेश के अनुसार कम से कम 50 पेड़/हैक्टै 0 की दर से वृक्षारोपण करना अनिवार्य होगा।
15. शासनादेश के अनुसार रेनवाटर हार्वेस्टिंग पद्धति का प्राविधान अनिवार्य रूप से करना होगा।
16. भूकम्परोधी निर्माण हेतु शासनादेश सं० 570-9-आ-12001(भूकम्परोधी/2001/(आ0बा0) दिनांक-3.2.2001 एवं सं० 3751/9-आ0-भूकम्परोधी/2001/(आ0बा0) दिनांक 20-7-2001 के अन्तर्गत शर्तें, एक मानचित्र के पृष्ठ भाग पर चरपा की गयी है। जिनका अनुसरण प्रत्येक दशा में करना होगा।
17. प्रकरण में भारतीय विमानन पत्तनन, पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण से नियमानुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है। जिसके अनुसार क्रियान्वयन स्थल पर किया जाना होगा।
18. मानचित्र का परीक्षण नेशनल बिल्डिंग कोड-2005 के मात्र स्ट्रक्चरल प्राविधानों के अन्तर्गत ही अनुज्ञा निर्गत की जा रही है तथा अग्निशमन/सुरक्षा सम्बंधी अन्य समस्त प्राविधानों को स्थानीय मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित कराया जायेगा।
19. अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-3, लखनऊ के द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत भूखण्ड पर स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप ही निर्माण किया जा रहा है।
20. भूखण्ड में कय योग्य एफ0ए0आर0 के सापेक्ष सीवेज निस्तारण हेतु एस0टी0पी0 की व्यवस्था व विद्युत आपूर्ति हेतु स्टेप डाउन ट्रान्सफॉर्मर व जलापूर्ति हेतु बोर वैल/ट्यूब वैल का निर्माण स्वयं के व्यय पर सुनिश्चित करेंगे।
21. प्रश्नगत भूमि पर निर्माण के पश्चात् उपविधि 2008 परिशिष्ट-6 प्रपत्र-ब के अनुसार अध्यासन से पूर्व पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। जिसे सम्बंधित खण्ड से स्थलीय पुष्टि उपरान्त वास्तुकला नियोजन इकाई-पंचम के द्वारा सक्षम स्तर/उच्च स्तरीय समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण के उपरान्त नियमानुसार अनुमोदन होने की दशा में ही तदनुसार सम्बंधित अधिशासी अभियन्ता द्वारा पूर्णता प्रमाण पत्र निर्गत किया जायेगा।
22. समय समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा।
23. मानचित्र स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन, क्रियान्वयन, निर्माण विकास एवं अनुरक्षण कार्यों में सुनिश्चित किया जाये। जिसके सम्बंध में शासन द्वारा भविष्य में प्राप्त आदेशों/निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
24. उच्च स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 18-12-2015 एवं दिनांक 5-2-2016 के निर्णयानुसार मानचित्र स्वीकृति सम्बंधी समस्त शुल्कों के जमा होने की पुष्टि के उपरान्त शमन मानचित्र निर्गत किया जा रहा है, जिसके उपरान्त पूर्णता प्रमाण पत्र हेतु विधिवत खण्ड कार्यालय के माध्यम से आवेदन करना होगा।
25. उक्त शमन मानचित्र अधिशासी अभियन्ता, निर्माण इकाई-3, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ द्वारा प्रेषित स्थल सत्यापन आख्या के अनुसार परीक्षणोपरान्त उच्च स्तरीय समिति द्वारा अनुमन्य किया गया है।
26. शासनादेश के अनुसार प्रश्नगत भूखण्ड में निर्माण के सापेक्ष श्रम आयुक्त, कार्यालय लखनऊ में उपकर के मद में 01 प्रतिशत धनराशि रू०-13,38,575/- (रुपय तेरह लाख अड़तीस हजार पाँच सौ पछहत्तर मात्र) की धनराशि पंजीकरण संख्या-206/भ0नि0 दिनांक 15-4-2011 के अन्तर्गत जमा कराते हुए उसकी प्राप्ति रसीद की प्रति प्रस्तुत की है। श्रम विभाग में पंजीकरण की शर्तों के अनुसार स्थल पर क्रियान्वयन तदनुसार सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा।
27. प्रकरण में रजिस्ट्री के समय मानचित्र में शमनित किसी भी फ्लैट का सब-डिवीजन अनुमन्य नहीं होगा।

सलग्नक: उपरोक्तानुसार।

1. आर्कोटेक्चरल मानचित्रों का एक सेट (39 नग)
2. स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स का एक सेट (106 नग)
3. स्ट्रक्चरल कैलकुलेशन का एक सेट।

भवदीय,

(संजीव कश्यप)

वास्तुविद नियोजक/विशेष कार्याधिकारी

पृ०सं०:-

/उक्त /

दिनांक:

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अधीक्षण अभियन्ता-वृन्दावन वृत्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ को मानचित्र का एक सेट सहित सूचनार्थ।
2. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-3, उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, वृन्दावन योजना लखनऊ को मानचित्रों का एक सेट सहित इस आशय से प्रेषित कि आवंटन को मलवा शुल्क में शासनादेश के अनुसार छूट दी गयी है, अतः यह सुनिश्चित कर लें कि आवंटन अपने ही भूखण्ड में निर्माण सामग्री एवं मलवा रखेगा साथ ही उक्तानुसार अंकित शर्तों के कम में।
3. उप आवास आयुक्त, सम्पत्ति प्रबंध वृन्दावन लखनऊ को उनके द्वारा निष्पादित विक्रय विलेख के कम में।
4. मुख्य अग्निशमन अधिकारी, उ0प्र0 फायर सर्विसेज लखनऊ उनके द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र के कम में प्रपत्र-ब सहित।
5. डायरेक्टर, श्रम आयुक्त 23, ए0पी0 सेन रोड, चारबाग, लखनऊ को उक्त बिन्दु सं०-26 के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

वास्तुविद नियोजक/विशेष कार्याधिकारी



उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद,
वास्तुकला एवं नियोजन इकाई--पंचम
नीलगिरी काम्पलैक्स, इन्दिरा नगर, लखनऊ ।

पत्रांक: 1256 नि० प्र० - 2010/24 वा० नि०-5/

दिनांक 13-07-2010

स्वीकृति-पत्र

सेवा में,

मेसर्स ओमनी फार्म प्राइवेट लि०
21 ए, अशोक एवेन्यू अशोक मार्ग
लखनऊ ।

विषय:- ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड संख्या 9डी/GH-01 वृन्दावन योजना लखनऊ के मानचित्र स्वीकृति के सम्बन्ध में।

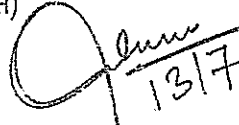
परिषद की वृन्दावन योजना-2 लखनऊ के सेक्टर 9डी स्थित ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड संख्या-9डी/जी.एच.-01 हेतु निम्न शर्तों के अधीन स्वीकृत प्रदान की जाती है।

1. निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर किया जाना होगा।
2. स्वीकृत मानचित्र की अवधि पाँच वर्ष की होगी। दिनांक 13-7-11 से 12-07-16 तक।
3. स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अंकित संशोधनों सहित मान्य होगा।
4. यदि उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है। तब निर्माण से पूर्व सम्पत्ति प्रबंध अधिकारी से समयावधि प्रमाण प्राप्त कर लिया जाये।
5. यह स्वीकृति प्रस्तावित कुल क्षेत्रफल 125,900.01 वर्ग मी० (बेसमेंट+ग्राउण्ड-13) तलों में से 23805.04 वर्ग मी० बेसमेंट+ग्राउण्ड तलों हेतु निर्माण क्षेत्रफल के लिए 44609.67 वर्ग मी० के भूखण्ड पर प्रदान की गयी है। बेसमेंट फ्लोर में पार्किंग प्रस्तावित होने के कारण उसका क्षेत्रफल एफ.ए.आर. में आंगणित नहीं किया गया है। अतः पार्किंग हेतु निर्धारित स्थान में निर्माण की सुनिश्चितता हेतु निर्माण की स्वीकृति केवल बेसमेंट एवं उसके ऊपर एक तल हेतु प्रदान की जाती है।
6. बेसमेंट एवं उसके ऊपर एक तल का निर्माण स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप सुनिश्चित किये जाने के उपरान्त (सम्बन्धित खण्ड से पुष्टि के पश्चात) शेष निर्माण 1,02,094.97 वर्ग मी० की अनुवर्ती तलों पर स्वीकृति सक्षम स्तर से प्रदान की जा सकेगी। (स्वीकृत मानचित्र सलग्न है।)
7. भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-03 उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ को निर्माण प्रारम्भ करने से पूर्व 14 दिन पहले देनी होगी।
8. भवन के निर्माण के पश्चात तथा उपयोग से पूर्व स्थानीय मुख्य अग्निशमन अधिकारी, से पुनः अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर उपलब्ध कराना होगा।
9. निर्माण स्थल पर स्वीकृत मानचित्र का डिस्प्ले ऐसे स्थान पर किया जायेगा कि उसे जन सामान्य के द्वारा सुगमतापूर्वक अवलोकित किया जा सके।
10. आवंटी द्वारा सलग्न प्रारूप पर पूर्णतया प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जायेगा जिसके साथ अनुज्ञापित तकनीकी व्यक्ति का प्रमाण पत्र भी सलग्न करना होगा। समयावधि तत्पश्चात निर्माण कार्य यथामानक सही पाये जाने पर ही पूर्णतया प्रमाण पत्र निर्गत किया जायेगा।
11. मेसर्स ओमनी फर्म प्राइवेट लिमिटेड लि० द्वारा स्थल (सार्वजनिक)/मार्ग अथवा सरकारी भूमि का उपयोग भवन सामग्री अम्बार करने की दशा में वह मानचित्र अवमुक्त होने की तिथि से देय शुल्क तथा उस पर 15 प्रतिशत वार्षिक व्याज (अर्द्धवार्षिक चक्रवृद्धि व्याज) मांग पत्र निर्गत होने की तिथि से एक माह के अन्दर परिषद खाते में एकमुश्त जमा करेगा।
12. कम से कम 200 वर्ग मी० क्षेत्रफल पर एक पेड़ की दर से वृक्षारोपण अनिवार्य रूप से करना होगा।
13. रेनवाटर हार्वेस्टिंग पद्धति को अनिवार्य रूप से करना होगा।
14. भूकम्परोधी शासनादेश सं० 570-9-आ-12001 (भूकम्परोधी / 2001 / (आ०वा०) दिनांक 3.2.2001 एवं सं० 3751/9-आ-भूकम्परोधी / 2001 / (आ०वा०) दिनांक 20.7.2001 के अन्तर्गत शर्त, संत के एक मानचित्र के फूट भागों पर चरमा की गयी है। जिनका अनुसरण करना होगा।

15. उपरोक्त बड़े हुये एफ0ए0आर0 की कुल धनराशि का 90 प्रतिशत भाग रू0-1876.95.188.00 रू0 (अट्ठारह करोड़ छिहत्तर लाख पिचान्नबैं हजार एक सौ अट्ठासी) सहायक आवास आयुक्त वृन्दावन द्वारा निर्धारित किरातों के अनुसार निर्धारित समय में जमा करना अनिवार्य होगा, अन्यथा आपके ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड संख्या-9डी/जी.एच.-01 का स्वीकृत मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।
16. समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेश मान्य होंगे।
17. मानचित्र का परीक्षण नेशनल बिल्डिंग कोड के मात्र [STRUCTURAL] प्राविधानों के अन्तर्गत करते हुए ही अनुज्ञा निर्गत की जा रही है तथा अग्निशमन/सुरक्षा सम्बंधी अन्य समस्त प्राविधानों को स्थानीय मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित कराया जायेगा।
18. अधिशासी अभियन्ता, नि0 खण्ड-03 के द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्ररनगत भूखण्ड पर निर्माण स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप स्थल पर किया जा रहा है।
19. अग्निशमन अधिकारी लखनऊ के पत्रांक 1615 /एफ.एस. 11 दिनांक 25.06.2011 की शर्तों का अनुपालन स्थल पर किया जाना अनिवार्य है।
20. आवंटी द्वारा भारतीय विमानन पत्तनम् प्राधिकरण से ऊँचाई हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रेषित नहीं किया गया है, अतः 15 मी0 की ऊँचाई तक निर्माण किये जाने की अनुमति दी जाती है। भारतीय विमानन पत्तनम् प्राधिकरण से ऊँचाई निर्धारित करने सम्बंधी अनापत्ति प्रमाण पत्र देने के पश्चात ही 15 मी0 से अधिक ऊँचाई पर निर्माण किया जायेगा।

संलग्नक:

1. आर्कीटेक्चरल मानचित्रों का एक सेट (नग शीट्स)
2. स्ट्रक्चरल डिजाइन्स का एक सेट (नग शीट्स)
3. स्ट्रक्चरल व कैलकुलेशन का एक सेट।
4. पूर्णतः प्रमाण पत्र का प्रारूप -ग।


13/7/11

(श्याम जगन यादव)

वास्तुविदैनियोजक/विशेष कार्याधिकारी
दिनांक:

प्र0 सं0:-

/उक्त /

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अधीक्षण अभियन्ता-तृतीय वृत्त, उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ को उक्त मानचित्र के एक सेट सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-03 उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ को मानचित्रों के एक सेट सहित इस आशय से प्रेषित कि पूर्णता प्रमाण पत्र के आवेदन हेतु प्रपत्र-ग की एक प्रति संलग्न है तथा यह सुनिश्चित करने हेतु कि आवंटी को मलवा सामग्री की छूट दी गयी है, अतः यह सुनिश्चित कर लें कि आवंटी अपने ही भूखण्ड में निर्माण सामग्री एवं मलवा रखेगा।
3. सहायक आवास आयुक्त, सम्पत्ति प्रबंध लखनऊ को शर्त सं0-04 के संदर्भ में।
4. मुख्य अग्निशमन अधिकारी, लखनऊ को प्रपत्र -च सहित।

वास्तुविदैनियोजक/विशेष कार्याधिकारी